न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– रामरतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 06/2023

पितराम उम्र 73 वर्ष पुत्र पन्नाराम, जाति जाट, निवासी राणासर, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू, (राज0)। –अपीलान्ट

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मलसीसर ,तहसील मलसीसर,जिला झुन्झुनू (राज0)। –रेस्पोंडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय 13.09.2022 न्यायालय तहसीलदार मलसीसर, मुकदमा उनवानी सरकार बनाम पितराम
अं0 धारा 91 एल0 आर0 एक्ट मुकदमा नंबर 06/2021

उपस्थितिः–

1. श्री विनोद गिल, एडवोकेट ––––––––––––––––––अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अधिवक्ता –– राज0 सरकार की ओर से ।

–निर्णय– दिनांक 31.7.24

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं अंकित किये गये हैं कि – ''अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को हल्का पटवारी की गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत रिपोर्ट को आधार मानकर धारा 91 एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत नोटिस गलत जारी किया है। पूर्व में तहसीलदार द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में नियमन की सिफारिश कर सनद जारी कर दी तो उक्त भूखण्ड बाबत अतिक्रमण की रिपोर्ट किया जाना गलत है। उक्त भूखण्ड बाबत पूर्व में 1961 में अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही की गई थी जो ड्रोप होने के बाद अपीलांट का आजादी के पूर्व से कब्जा मानते हुये दिनांक 20.01.1980 को नियमन की कार्यवाही की सिफारिश की गयी तथा नियमन के अनुसरण में पितराम के पक्ष में सनद पट्टा जारी किया गया जिसमें खसरा नंबर 111 के 500 वर्गगज का निःशुल्क 24 वर्गगज का शुल्क लेकर 524 वर्गगज भूमि का पट्टा जारी किया गया। शुल्क उस समय जमा करवा दिया गया जहां कोई व्यक्ति पट्टे के आधार पर भूमि का क्लेम करता है तथा उसका शुल्क जमा करवाया होता है उसकी समरी कार्यवाही से बेदखल नहीं किया जा सकता है। अपीलांट के पूर्वज उक्त भूमि पर 70 साल से अधिक समय से काबिज हैं। जब सनद पटटा अस्तित्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.09.06 11:25:08 IST
Reason: SelfAttested

में है तो अपीलांट को समरी कार्यवाही से बेदखल नहीं किया जा सकता है। अपीलांट को खसरा नंबर 12 के बाबत नोटिस दिया गया है। जबकि खसरा नंबर 12 में से सन 1989 में ग्राम राणासर की खसरा नंबर 111 में से 2 एकड़ भूमि अलोट की गयी थी। खसरा नंबर 111 के ही खसरा नंबर 12 बने हैं। अलोटमेंट आदेश सन 1989 के पश्चात उक्त भूमि आबादी भूमि हो गयी। आबादी भूमि पर आबाद व्यक्ति के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही नहीं की जा सकती। अपीलार्थी की उम्र 73 वर्ष है। अपीलार्थी के पिता पन्नाराम के नाम पूर्व में कार्यवाही चली थी, इसलिए उक्त भूखण्ड पर आजादी से पूर्व से अपीलांट का परिवार पुख्ता रिहायश बनाकर आबाद है जिसमें 70 साल पुरान अपीलांट का कुण्ड भी बना हुआ है, जो पीने के पानी का एकमात्र साधन है...आदि। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.09.2022 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया।

दौराने बहस राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि अपीलांट ने राजकीय भूमि खसरा 12 किस्म गै.मु. जोहड़ कुल रकबा 5.97 हैक्टर में से 1950 वर्गमीटर भूमि पर तारबंदी कर व लकड़ी पत्थर डालकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है जिस पर तहसीलदार मलसीसर द्वारा उसे विधिवत सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर विधिक प्रक्रिया के तहत निर्णय पारित किया गया है जिसमें कोई कानूनी त्रुटि नहीं है। विवादित भूमि जोहड़ की भूमि है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को देखा गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। अपीलांट का कथन है कि उनके पिता पन्नाराम के विरूद्ध पूर्व में उक्त भूखण्ड बाबत वर्ष 1961 में धारा 91 एल.आर. एक्ट की कार्यवाही की गई थी जो ड्रोप होने के बाद अपीलांट का आजादी के पूर्व से कब्जा मानते हुये तहसीलदार द्वारा दिनांक 20.01.1980 को नियमन की कार्यवाही की सिफारिश की गयी तथा नियमन के अनुसरण में पितराम के पक्ष में सनद (पट्टा जारी किया गया जिसमें खसरा नंबर 111 के 500 वर्गगज का निःशुल्क 24 वर्गगज का शुल्क लेकर 524 वर्गगज भूमि का पट्टा जारी किया गया। शुल्क उस समय जमा करवा दिया गया। अपीलांट के पूर्वज उक्त भूमि पर 70 साल से अधिक समय से काबिज हैं। जब सनद पटटा अस्तित्व में है तो अपीलांट को समरी कार्यवाही से बेदखल नहीं किया जा सकता है। अपीलांट को खसरा नंबर 12 के बाबत नोटिस दिया गया है। जबकि खसरा नंबर 12 में से सन 1989 में ग्राम राणासर की खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.09.06 11:25:08 IST
Reason: SelfAttested

नंबर 111 में से 2 एकड़ भूमि अलोट की गयी थी। खसरा नंबर 111 के ही खसरा नंबर 12 बने हैं। अलोटमेंट आदेश सन 1989 के पश्चात उक्त भूमि आबादी भूमि हो गयी। आबादी भूमि पर आबाद व्यक्ति के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही नहीं की जा सकती ।

उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर ने अपने निर्णय दिनांक 13.09.2022 में विवादित भूखण्ड को अपीलांट के पिता को नियमानुसार शुल्क लिया जाकर तहसीलदार द्वारा 524वर्गगज भूमि अलोट की जाकर पट्टे /सनद जारी करने के तथ्य के संदर्भ में कोई फाईंडिंग नहीं दी गई है। अपीलांट का कथन है कि उसके पिता पन्नाराम के विरूद्ध इसी भूखण्ड को लेकर वर्ष 1961 में धारा 91 एल.आर.एकट के अन्तर्गत कार्यवाही चली थी जो ड्रोप की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने इन तमाम तथ्यों के संबंध में अपने निर्णय में कोई विवेचना नहीं की गई। अपीलांट 73 वर्ष का व्यक्ति है,तथा विवादित भूखण्ड पर अपना कब्जा आजादी से पूर्व का होने का कथन करता है तथा वर्तमान में उक्त भूमि आबादी भूमि है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर का निर्णय दिनांक 13.9.2022 बउनवानी सरकार बनाम पितराम मु0नं0 06/2021 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार मलसीसर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित भूखण्ड का वे स्वयं मौका निरीक्षण कर अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर अपीलांट द्वारा अपील में उठाये गये तमाम बिन्दुओं एवं अपीलांट के पिता के नाम जारी सनद/पट्टा नियमन आदि समस्त कार्यवाही की विधिक रूप से पूर्ण विवेचना करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.7.24को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.09.06 11:25:08 IST
Reason: SelfAttested

(राम रतन सोंकरिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू